भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3307

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

2 चैत्र, 1944 (शक)

फोन और टी.वी. का आयात

3307. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोबाइल फोन और टेलीविजन डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल के नि:शुल्क आयात के स्थान पर इन्हें लाइसेंस व्यवस्था के तहत लाने के अपने निर्णय की समीक्षा की है जो मोबाइल फोन और टेलीविजन निर्माताओं के लिए एक बड़ी राहत की बात हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों के बीच इस संबंध में कोई बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के उक्त निर्णय से उपरोक्त वस्तुओं के घरेलू विनिर्माताओं को और मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भी मदद मिलने की संभावना है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (घ): जी, हां। भारत सरकार का लक्ष्य भारत को अपनी आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था संबंधी नीतियों के भाग के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण डिजाइन और विनिर्माण केंद्र बनाना है। इसके भाग के रूप में, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और गहरा कर रहे हैं। मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर, टेलीविजन सेट कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है। फ्लैट पैनल मॉड्यूल और कैमरा मॉड्यूल मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, ऑल-इन-वन पीसी आदि के विनिर्माण के लिए एक अनिवार्य भाग हैं।

भारतीय व्यापार वर्गीकरण-सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (आईटीसी-एचएस), 2022 अनुसूची - 1 (आयात नीति) को वित्त अधिनियम, 2021 के साथ विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) अधिसूचना 54/2015-20 के दिनांक 09.02.2022 के तहत अधिसूचित किया गया था जिसमें सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए आयात नीति को संकेतिक किया गया था। इसके बाद, उद्योग से प्राप्त इनपुट के आधार पर, 8524 और 8525 के तहत विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के लिए फ्लैट पैनल मॉड्यूल और कैमरा मॉड्यूल के लिए आयात नीति को अधिसूचना संख्या 55/2015-20 के दिनांक 24.02.2022 के माध्यम से 'मुक्त' रूप में संशोधित किया गया ताकि बड़े पैमाने पर विनिर्माताओं को राहत और

उपरोक्त वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण में मदद की जा सके । यह माननीय प्रधान मंत्री के आत्मनिर्भर भारत के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने संबंधी दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है। अधिसूचना की एक प्रति अनुबंध क में दी गई है।

(ख) और (ग): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फ्लैट पैनल मॉड्यूल और डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए आयात नीति पर उद्योग संघों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद, 22 फरवरी, 2022 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय और डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग के बीच बैठक हुई; जिसके तहत आईटीसी (एचएस)-2022 की अनुसूची-I में शामिल किए गए आईटीसी-एचएस कोड के आयात नीति प्रावधान पर विचार-विमर्श किया गया । बैठक में, डीजीएफटी से उक्त मदों के लिए नीति शर्तों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था । इन विचार-विमर्शों ने नीतिगत निर्णयों का मार्ग प्रशस्त किया जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल फोन और टेलीविजन सेट के घरेलू विनिर्माण संबंधी विस्तार को निरंतर जारी रखा जाता हैं।

****